भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 215

सोमवार, 04 अगस्त, 2025 / 13 श्रावण, 1947 (शक)

श्रमिकों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं

***215. श्री जी. सेल्वमः**
श्री नवसकनी के.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास में सुधार लाने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से लाभान्वित हुए तमिलनाडु के श्रमिकों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय निधियों को जारी करने में विलंब अथवा अपर्याप्त निधियों के कारण राज्य सरकारों, विशेषकर तमिलनाडु राज्य सरकार के समक्ष आ रही कठिनाइयों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) श्रमिकों के बीच बेहतर पहुंच बनाने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु और अधिक केन्द्रीय सहायता अथवा लचीलेपन की मांग करते हुए तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तमिलनाडु में श्रमिकों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए /किए जाने वाले विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

** *****

"श्रमिकों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं" के संबंध में श्री जी. सेल्वम और श्री नवसकनी के. द्वारा दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 215* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): 'श्रम' भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार कामगारों के कल्याण के लिए तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित की जाती हैं तथा पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं। इन योजनाओं के लिए अलग से राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। क्रियान्वित की जा रही प्रमुख कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इस प्रकार हैं: (i) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम), जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए भारत सरकार द्वारा समान अंशदान वाली एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना है; (ii) बीड़ी/सिने/गैर-कोयला खदान श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) जिसमें तीन घटक अर्थात स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास शामिल हैं ; (iii) मॉडल करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस); (iv) ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995; (v) कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार के सृजन और रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई); (vi) बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास; (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं; और viii) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना।

तमिलनाडु राज्य सहित प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत व्यय का ब्यौरा तथा लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का भी शुभारम्भ किया है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान करता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का आधार से जुड़ा एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना और ऐसे श्रमिकों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ पहुँचाए जाने को आसान बनाना है। 31 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.97 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य के 93.10 लाख श्रमिक शामिल हैं।

इसके अलावा, रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंज़ूरी दी

है, जिसका वित्तीय परिव्यय 99,446 करोड़ रुपये है। यह एक परिवर्तनकारी योजना है जिसका उद्देश्य तमिलनाडु राज्य सहित पूरे भारत में रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना और रोज़गार क्षमता को बढ़ाना है और इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का स्किल इन्डिया मिशन (एसआईएम) विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीएस) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे कि लाभार्थियों में जागरूकता लाने और उन्हें संगठित करने का कार्य तमिलनाडु सहित राज्यों और स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से किया जाता है और इस कार्य को जिसमें जागरूकता शिविरों के आयोजन एवं नामांकन के सुविधाजनक बनाने आदि के माध्यम से किया जाता है।

*****

अनुबंध

"श्रमिकों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 215 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना:

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2020-21	**319.71**
2021-22	**324.23**
2022-23	**269.91**
2023-24	**162.51**
2024-25	**232.11**
2025-26 (30.06.2025 तक)	**56.13**

10.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, पीएमएसवाईएम योजना के अंतर्गत मानधन पोर्टल पर 51.36 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य के 69,490 लाभार्थी शामिल हैं।

2. श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) :

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2020-21	**86.25**
2021-22	**64.21**
2022-23	**80.79**
2023-24	**81.31**
2024-25	**40.27**
2025-26 (30.06.2025 तक)	**0.79**

पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल लाभार्थियों की संख्या 94,76,011 है, जिनमें से तमिलनाडु क्षेत्र में लाभार्थियों की संख्या 12,69,492 है।

3. राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) :

वर्ष	**व्यय (करोड़ रुपये में)**
2020-21	**43.80**
2021-22	**24.30**
2022-23	**43.99**
2023-24	**46.90**
2024-25	**47.43**
2025-26 (30.06.2025 तक)	**4.46**

उपर्युक्त वित्तीय वर्षों (30.06.2025 तक) के दौरान, एनसीएस के अंतर्गत नौकरी चाहने वालों/लाभार्थियों की संख्या 4.10 करोड़ है, जिनमें से 15.92 लाख तमिलनाडु राज्य में हैं।

4. आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (एबीआरवाई**):**

वर्ष	**संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)**
2020-21	351.08
2021-22	4046.44
2022-23	4593.08
2023-24	1197.89

- योजना की अवधि: वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक।

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल लाभार्थी 60.49 लाख हैं , जिनमें से 8.05 लाख लाभार्थी तमिलनाडु राज्य में हैं।

5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ: ईएसआईसी के अंतर्गत**,** कुल 166 अस्पताल **(**61 ईएसआईसी और 105 ईएसआईएस**)** और 1603 औषधालय हैं जो पूरे भारत में 3,80,41,160 बीमित व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। तमिलनाडु राज्य में**,** 11 अस्पताल (03 ईएसआईसी और 08 ईएसआईएस**)** और 241 औषधालय हैं तथा 06 नए अस्पतालों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। तमिलनाडु राज्य में 43,77,090 बीमित व्यक्ति हैं।

6. बंधुआ मजदूर के पुनर्वास हेतु योजना: यह योजना मांग आधारित है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें निधियां प्रदान की जाती है। तमिलनाडु राज्य में पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या और उनके पुनर्वास हेतु जारी की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**तमिलनाडु राज्य में पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या**	**तमिलनाडु राज्य के लिए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए जारी राशि (रुपये लाखों में)**
2020-21	---	---
2021-22	1016	204.73
2022-23	297	59.40
2023-24	176	56.80
2024-25	196	57.40
2025-26 (30.06.2025 तक)	41	19.30

*****